

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधि सूचना ॥

पटना-15, दिनांक 02 अगस्त, 2018

संख्या : 1/सी0-1008/2018-सा0प्र0-10358/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के आदेश संख्या-14014/04/2012-ए आई एस-1 दिनांक 01.03.2018 द्वारा पुनरीक्षित बच्चों (2006 के बदले आवंटित बैच वर्ष, 2005)से आच्छादित भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को चयन ग्रेड (विशेष सचिव स्तर-वेतन स्तर-13-₹1,23,100-2,15,900/-) में उनके नाम के सामने अंकित तिथियों से प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-


क्र.	पदाधिकारी का नाम एवं बैच	वर्तमान पदस्थापन/प्रभार	विशेष सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान किये जाने की तिथि
1.	श्री आदित्य कुमार दास (2005)	उत्पाद आयुक्त-सह- निबंधन महानिरीक्षक, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिबरेज कॉरपोरेशन, पटना)	दिनांक-01.01.2018 के प्रभाव से ।
2	श्री रामाशंकर प्रसाद दफतुआर (2005)	निदेशक, आई0सी0डी0एस0, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना	दिनांक-01.01.2018 के प्रभाव से ।
3	श्री राजीव प्रसाद सिंह 'रंजन' (2005)	निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना	दिनांक-01.01.2018 के प्रभाव से ।
4	श्री जयन्त कुमार सिंह (2005)	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम, पटना	दिनांक-01.01.2018 के प्रभाव से ।
5	श्री भरत झा (2005)	निदेशक, नगरपालिका प्रशासन, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना)	दिनांक-01.01.2018 के प्रभाव से ।
6	श्रीमती सुजाता चालाना (2005)	अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार-सचिव, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना)	दिनांक-01.01.2018 के प्रभाव से ।

क०प०ऊ०

7	श्री अनिरुद्ध कुमार (2005)	समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया (अतिरिक्त प्रभार—बंदोबस्त पदाधिकारी, खगड़िया)	दिनांक—01.01.2018 के प्रभाव से ।
8	श्री सोहन कुमार ठाकुर (2005)	अपर सचिव—सह—संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना	दिनांक—01.01.2018 के प्रभाव से ।
9	श्री संजय कुमार (2005)	अपर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना(अतिरिक्त प्रभार—अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, पटना	दिनांक—01.01.2018 के प्रभाव से ।
10	श्री बृज राज राय (2005)	अपर सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना	दिनांक—01.01.2018 के प्रभाव से ।
11	श्री बीरेन्द्र कुमार मिश्रा (2005)	निदेशक, भू—अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार—अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना)	दिनांक—01.01.2018 के प्रभाव से ।
12	श्री राधे श्याम साह (2005)	अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना	दिनांक—01.01.2018 के प्रभाव से ।
13	श्री नील कमल (2005)	बिहार विकास मिशन में समकक्ष पद, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना	दिनांक—01.01.2018 के प्रभाव से ।
14	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव(2005)	सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना	दिनांक—01.01.2018 के प्रभाव से ।

2. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक—6, 8, 9, 10 एवं 12 के पदाधिकारी को विशेष सचिव के रूप में पदनामित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


02.8.18

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 1/सी0—1008/2018—सा0 प्र0—10358./ पटना—15, दिनांक : 02 अगस्त, 2018

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली /संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/विकास आयुक्त,

बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/संबंधित विभाग/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2. उपर्युक्त तालिका के क्रमांक-4, 13 एवं 14 के पदाधिकारियों के गैर-संवर्गीय पदों को भा0प्र0से0(वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-9 (अनुसूची-11) के तहत उनके द्वारा विशेष सचिव स्तर का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि/तिथियों से उनके पदस्थापनकाल तक के लिए विशेष सचिव के समकक्ष घोषित किया जाता है ।

3. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:-

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."

२०१८
०२/०८/१८
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव